

प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के लिए आवेदन करने के चरण

चरण-1: मिशन एक्सपोजर विजिट के लिए आवेदन करें

(पूरा करने की अंतिम तिथि: 15 फरवरी 2025)

<https://eha-health.org/downloads/sponsorship-related-form>

चरण-2: मिशन एक्सपोजर विजिट के पूरा होने के बाद,

अस्पताल मिशन एक्सपोजर के पूरा होने के लिए

एक प्रमाणपत्र जारी करेगा

चरण-3: सिफ़ारिश (उर्फ प्रायोजन) से संबंधित सभी दस्तावेज़ तैयार रखें यहां

क्लिक करें: [सीएमसी सीट स्पॉन्सरशिप के लिए अनिवार्य दस्तावेज़ docs.google.com.url](https://docs.google.com/urls)

चरण-4: सभी सूचनाओं और अपडेट के लिए सीएमसी वेल्लोर, लुधियाना और ईएचए वेबसाइटों को नियमित रूप से जांचें।

चरण-5: एक बार सीएमसी वेल्लोर और लुधियाना से अधिसूचना जारी होने के बाद, ईएचए अनुशंसा (उर्फ प्रायोजन) फॉर्म ईएचए वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

चरण-6: 1. ऑनलाइन Google EHA अनुशंसा (उर्फ प्रायोजन) फॉर्म भरें और 2. निर्देशानुसार भुगतान करें। 3. अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें (चरण 3 देखें)

चरण-7: प्रायोजन समिति के निर्णय की प्रतीक्षा करें

ऑनलाइन ज़ूम के माध्यम से हम आप से संपर्क करेंगे। साक्षात्कार लिंक उम्मीदवार की ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।

प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के लिए आवेदन करने के चरण:

कृपया ध्यान दें:

1. प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) का तात्पर्य केवल सीट प्रायोजन से है; यह कोई वित्तीय/आर्थिक /धन संबंधी सहायता नहीं है।
2. अस्पताल काम करने की शैली (मिशन/उद्देश्य) जानने के लिए (एक्सपोजर) विजिट सर्टिफिकेट पूरा होने की तारीख से 5 साल के लिए वैध/मान्य है।
3. मिशन एक्सपोजर विजिट का समापन सीएमसी वेल्लोर/लुधियाना को सीट प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) की **गारंटी/आश्वासन नहीं देता है।**
4. सीएमसी वेल्लोर, सीएमसी लुधियाना और ईएचए सिफारिश (स्पॉन्सरशिप) फॉर्म के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए अलग से किया जाना चाहिए।
5. पंजीकरण शुल्क एक बार भुगतान हो जाने के बाद वापस नहीं किया जाएगा।
6. सीएमसी वेल्लोर के लिए "**आधिकारिक प्रमाणन फॉर्म**" और सीएमसी लुधियाना के लिए "**सेवा प्रतिबद्धता का प्रोफार्मा**" वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के लिए ईएचए की सिफारिश केवल चालू वर्ष के लिए मान्य है।
7. उम्मीदवार द्वारा प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) से संबंधित सभी संचार/संपर्क के लिए वैध ईमेल-आईडी और फोन नंबर प्रदान/उपलब्ध किया जाना आवश्यक है । सभी फॉर्म पर ईमेल आईडी और फोन नंबर एक ही होना चाहिए।
8. सभी आवेदनों की जांच प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) समिति द्वारा की जाएगी।
9. समय सीमा के बाद प्राप्त ईएचए सिफारिश फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही पंजीकरण शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका हो।
10. गलत या अधूरी जानकारी से भरे गए आवेदन पत्रों अथवा विलंब/ समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।
11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के लिए नाम और तारीख वाली नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीरें प्रदान करें।
12. ईएचए एनआरआई उम्मीदवारों को प्रायोजित (स्पॉन्सर) नहीं करता है।
13. अल्पसंख्यक श्रेणी के तहत सीटों के बहुत सीमित होने के कारण, सीटों का आवंटन सीएमसी वेल्लोर के लिए सीमित होगा।
14. प्रति परिवार से केवल एक बच्चा एक शैक्षणिक (अकादमिक) वर्ष के लिए सीट प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के लिए योग्य/ पात्र है।